

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(81/08)/अलेसे -III/8058-8062 दिनांक :- 14.05.2015

कार्यालय आदेश

श्री महेन्द्र कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट नं0 35/2008) कार्यालय कोषाधिकारी, बांसवाड़ा को राजस्थान सेवा नियम 96 तथा वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के क्रम में दिनांक 31.12.2012 से 11.01.2013 तक कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इनके पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवकाश को सम्मिलित करते हुए इनके द्वारा 3 माह की अवधि से 10 दिवस का अधिक असाधारण अवकाश लिए जाने के फलस्वरूप इनका परिवीक्षणकाल 2 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष 10 दिवस का होगा।

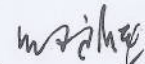


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(81/08)/अलेसे -III/8058-8062 दिनांक :- 14.05.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कोषाधिकारी, बांसवाड़ा उक्त असाधारण अवकाश की स्वीकृति एवं बढ़े हुए परिवीक्षणकाल का इन्द्राज श्री महेन्द्र कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।
- ✓ 2. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा।
3. श्री महेन्द्र कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, बांसवाड़ा।
4. पदस्थापन सीट।



(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)